न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

174
4.5.15

निगरानी 1616-II-15

हरि प्रसाद बानी तनय मनबोध बानी उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कोतरकला तहसील गोपदबनास सीधी (म0प्र0) --- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

1. रेखा सिंह पत्नी कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम बघवारी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन ------- अनावेदक/उत्तरवादीगण

श्री.. विजय द्विवेदी ....एड
द्वारा आज दिनांक 04-6-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील गोपदबनास के राजस्व प्रकरण क्र0 44/अ 12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 से उद्‌भूत

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

8-6-15

Dwivedi 04/06/15

मान्यवर ,

निम्न पुनरीक्षण पेश है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया व सहज न्याय सिद्धान्त के विपरीत है।

2- यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता ग्राम कोतरकला स्थित भूमि खसरा क्र0 725 रकवा 0.024 हे0 का सहभूमिस्वामी है तथा अनावेदक/उत्तरवादी क्र0 1 ~~[illegible]~~ ग्राम कोतरकला स्थित भूमि खसरा क्र0 723/1/2 को 2

R. 16/6/11/15 — सी.पी.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
लेखपाल	लेख	
	परिणामस्वरूप सीमांकन से संबंधित अपेक्षित आदेश दिनांक 25-4-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से प्रस्तुत निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार (उपलब्ध) नहीं है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प०दा०द० हो।	
	(हस्ताक्षर) 12-1-16 (नवाब)	

शाक्षेमुग्वा — 321 — फॉर्म्स — 21-9-2012 — 10,000.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1616/II/15 .... जिला सीधी

हीरप्रसाद .... रेवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-01-16	आवेदक अधिवक्ता श्री विजय द्विवेदी को ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास के राजस्व प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/14-15 पारित आदेश दिनांक 25-4-15 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत तर्कों पर विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित उक्त आदेश का अवलोकन किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सीमांकन कार्यवाही एवं सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 25-4-15 से आवेदक के हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 26.2.15 स्थल पंचनामा दिनांक 23-11-14, फील्डबुक दि० 23-11-14 एवं नजरी नक्शा दि० 23-11-15 के अवलोकन से यह कहीं भी अंकित होना नहीं पाया गया कि आवेदक की भूमि कौन सी है तथा उसकी किस भूमि पर अनावेदक का कब्जा है। इसके साथ ही आवेदक यह अभिलेख से सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह व्यथित पक्ष है। प्रकरण में उपस्थित तथ्यों से आवेदक के हित वर्तमान में सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित हुए होना परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आक्षेपित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 25-4-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही यदि आवेदक चाहे तो अपने निगरानी मेमो में अंकित सर्वे क्रमांक 725 का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है वह अपने स्वत्व संबंधी अभिलेखों के साथ सीमांकन का आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सीमांकन करा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर	

[क्र. प. उ.